फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
13/6/24	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण की तामील जरिये रजि० डाक करवाये 06 माह से भी अधिक समय हो चुका है बावजूद सम्यक तामील के हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थीगण सं. 1, 2 व 3 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता की प्रा॰ पत्र पर बहस एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने एवं प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस में जाहिर तथ्यों पर मनन करने के उपरान्त विवादित आराजी भूमि ख. न. 448 रकबा 0.6070 हैक्टेयर स्थित ग्राम टोड़ाभाटा प.ह. टोड़ाभाटा भू.अ.नि. दूधली तह० बस्सी जिला जयपुर में उभयपक्षों को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उभयपक्ष उक्त विवादित आराजी भूमि पर ताफैसला वाद के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature]	